तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **वन्दना शर्मा बनाम जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/187**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.04.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स की टिप्पणी प्राप्त जो शामिल मिसल की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पत्रांक 193 दिनांक 04.04.2022 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने पत्रांक 125 दिनांक 04.04.2022 में अंकित किया गया है कि राजस्थान पैरोल रिहाई नियम 2021 के नियम 11 के तहत अपातकालिन मामलों में मानवीय आधार से पैरोल पर रिहा किये जाने का प्रावधान किया गया है, अपीलार्थी बंदीयान द्वारा 15 दिवस अपात पैराल आई.वी.एफ. पद्धती से संन्तान प्राप्ति के आधार पर चाही गई उक्त आधार पर नियम 11 के तहत पैरोल का लाभ देय नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है राजस्थान पैरोल रिहाई नियम 2021 के नियम 11 के तहत बंदीयान को आई.वी.एफ. पद्धती से संतान प्राप्ति के लिये पैरोल का लाभ देय नही होने से अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के पत्रांक 187 दिनांक 29.03.2022 द्वारा अपीलार्थीगण का पैरोल प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट जयपुर का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 187 दिनांक 29.03.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	